कार्यालय प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग,जल संसाधन भवन,
तुलसी नगर, भोपाल—462003
दूरभाष—2552646,2552878 फेक्स 2552406
Email- encwrbpl@mp.nic.in

क्रमांक--/ , — /नि.स.प्र.अ./2019 भोपाल, दिनांक 2.04.2019

प्रति,

1. आयुक्त
भू--अर्जन एवं पुर्नवास
बाणसागर परियोजना रीवा

2. आयुक्त
कमांड क्षेत्र विकास संचालनालय
जल संसाधन विभाग, भोपाल

3. मुख्य अभियंता (समस्त)
———————
जल संसाधन विभाग———

विषयः— अधिकारियों के गोपनीय प्रतिवेदन समय पर लिखे जाने के संबंध में ।

---00---

शासकीय सेवकों के गोपनीय प्रतिवेदन लिखे जाने के संबंध में निर्देश/सिद्वांतों का निर्धारण मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा पूर्व से ही किया जाकर समय—सीमा निर्धारित की है । इस संबंध में मध्यप्रदेश शासन,सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 5--2/2015/1/9 दिनांक 12.03.2015 की छाया प्रति संलग्न है ।

इस संबंध में निर्देशित किया जाता है कि उक्त परिपत्र में निश्चित की गई समय—सीमा अनुसार अपने अधीनस्थ समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों के गोपनीय प्रतिवेदन लिखे जाना सुनिश्चित करें एवं इस आशय प्रमाण पत्र भी देवें कि आपके अधीनस्थ समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों के गोपनीय प्रतिवेदन नियत समय--सीमा अनुसार लिखे जा चुके है ।

संलग्नः—उपरोक्तानुसार

1/4/2019
(राजीव कुमार सुकलीकर)
प्रमुख अभियंता

क्रमांक—/ 11 /नि.स.प्र.अ./2019 भोपाल, दिनांक 2 .04.2019

प्रतिलिपिः—

अधीक्षण यंत्री, प्रशासन/कार्य/वृहद/बजट/मुख्य कार्मिक अधिकारी/संयुक्त संचालक,वित/कार्यालय प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

2. बैव मैनेजर, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग भोपाल की ओर विभागीय बैवसाइट पर पृविष्ट हेतु ।

1/4/2019
(राजीव कुमार सुकलीकर)
प्रमुख अभियंता

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक एफ 5–2/2015/1/9 भोपाल दिनांक 12/03/2015

प्रति,

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
मध्यप्रदेश शासन
शासन के समस्त विभाग,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत
मध्यप्रदेश।

विषयः– शासकीय सेवकों की गोपनीय चरित्रावली समय पर लिखे जाने के संबंध में।

संदर्भः– इस विभाग का परिपत्र क्रमांक एफ 5–4/99/9–1 दिनांक 13.1.99 परिपत्र क्र. 5–1/06/1/9 दिनांक 22/3/2006 क्रमांक 5/1/2007/1/9 दिनांक 5/4/2007 क्रमांक 5/6/008/1–9 दिनांक 23/06/2008 एवं क्रमांक 5–1/2009/1–9 दिनांक 4/5/2009, क्रमांक 5–1/2010/1–9 दिनांक 20/05/2010 क्रमांक एफ 5–1/2011/1/9 दिनांक 26/4/2011, एफ 5–1/2012/1/9 दिनांक 23/06/2012 एवं एफ 5–1/2013/1/9 दिनांक 02/05/2013।

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित परिपत्रों का अवलोकन करें। जिनके द्वारा शासकीय सेवकों की गोपनीय चरित्रावली लिखे जाने के संबंध में निम्नानुसार समय–सीमा निर्धारित की गई है :–

1.	सेल्फ असेसमेन्ट प्रस्तुत करने की अवधि	30 अप्रैल,
2.	प्रतिवेदक अधिकारी द्वारा गोपनीय प्रतिवेदन में मतांकन	15 मई
3.	समीक्षक अधिकारी द्वारा गोपनीय प्रतिवेदन में मतांकन	31 मई
4.	स्वीकारकर्ता अधिकारी द्वारा मतांकन	15 जून

2/ सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 23 जुलाई, 2014 में शासकीय सेवकों के गोपनीय प्रतिवेदन प्रकटन किये जाने के निर्देश जारी किये गये है। गोपनीय प्रतिवेदन में पूर्ण रूप से मतांकन होने के पश्चात संबंधित शासकीय सेवक को प्रकटन किये जाने के उपरांत संबंधित कार्यालय को प्रेषित किये जावे।

3/ विभाग द्वारा बार–बार निर्देश जारी किये जाने के बाद भी कतिपय विभागों में शासकीय सेवकों के गोपनीय प्रतिवेदन उक्त निर्धारित समय–सीमा में नहीं लिखे गये है। विभागों द्वारा शासन के निर्देशों की अवहेलना की गई है। इस स्थिति को कदापि उचित नहीं कहा जा सकता है।

4/ अधिकारी द्वारा स्वमूल्यांकन प्रतिवेदन निर्धारित समयावधि में प्रतिवेदक अधिकारी को प्रस्तुत नहीं किये जाने पर मतांकनकर्ता अधिकारी यह टीप अंकित करते हुये कि स्वमूल्यांकन प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है, संबंधित अधिकारी के गोपनीय प्रतिवेदन में अपना मतांकन करेगें, साथ ही संबंधित अधिकारी से स्वमूल्यांकन प्रतिवेदन समय पर प्रस्तुत न किये जाने के संबंध में भी स्पष्टीकरण प्राप्त कर कार्यवाही हेतु वरिष्ठ अधिकारियों को प्रस्तुत करेगें।

5/ अतः कृपया आपके विभाग के अंतर्गत समस्त शासकीय सेवकों की वर्ष 31.3.2015 को समाप्त होने वाली अवधि की वार्षिक गोपनीय चरित्रावली निर्धारित समय–सारणी अनुसार अनिवार्य रूप से लिखी जाना सुनिश्चित किया जाये साथ ही इस बात ध्यान रखा जाये गोपनीय प्रतिवेदन में स्वमूल्यांकन या मतांकन के समय तिथि का उल्लेख निश्चित रूप से किया जाए।

6/ समयावधि में गोपनीय प्रतिवेदन नहीं लिखने वाले प्रतिवेदक/समीक्षक/स्वीकारकर्ता अधिकारियों से विलंब के लिये उत्तरदायित्व का निर्धारण किया जाकर संबंधित दोषी अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए दोषी अधिकारी के गोपनीय प्रतिवेदन में उसका उल्लेख किया जाये।

7/ उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये।

(के. सुरेश)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

क्रमांक एफ-6-2/2015/1/9 भोपाल दिनांक 12/03/2015

प्रतिलिपि:–

1. प्रमुख सचिव, मा.मुख्यमंत्री जी, मंत्रालय की ओर सूचनार्थ।
2. प्रमुख सचिव समन्वय, मुख्य सचिव कार्यालय की ओर सूचनार्थ।

प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग